फर्द अहकाम

रेवन्ति बनाम गंगालाल वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर ग्रामीण

संख्या 40/2015

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16/5/14	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उप. पक्ष [illegible] की ~~[illegible]~~ [illegible] नहीं। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 21/5/14 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	
	21/5/14	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप. पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 29/5/14 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	
	29/5/14	पत्रावली पेश हुई। P.O. (लो) [illegible] कार्य से बाहर। पत्रावली [illegible] दिनांक 1/7/14 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	
	01/7/14	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप.। आगामी पेशी पर पत्रावली निस्तारण आवश्यक रूप से करें। पत्रावली दिनांक 19/7/14 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	
	19/7/14	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप. वकील उभय पक्षों की ओर से [illegible] रिपोर्ट पर बहस	

जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

फर्द अहकाम

रेवतसिंह बनाम गंगाराम वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 40/2015

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		सुनी गई। वकील उभय पक्षों को कुर्रे पर समझाइश की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः पत्रावली में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राज० काश्तकारी अधि० को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वाद को मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट के तकासम हेतु निर्णित किया जाता है तथा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली केवल बजाए होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
40/2015	07/04/2015	19/07/2024

1. रेवत सिंह पुत्र नाथू सिंह जाति राजपुत उम्र 72 जाति राजपुत निवासी ग्राम लालवास ठाकूरो की ढाणी, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. गंगाराम पुत्र ग्यारसीलाल जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम गोल्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री राजेश कुमार पारीक :— वकील वादी
श्री महेश शर्मा :— वकील प्रतिवादी सं0 1

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 188 आर0टी0एक्ट

—: निर्णय :—

वादी की ओर से एड0 श्री राजेश कुमार पारीक ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम लालवास, पटवार हल्का लालवास, तहसील जमवारामगढ हाल आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित खातेदारी कृषि भूमि जिसके खसरा नम्बर 556 रकबा 0.06है, खसरा नम्बर 557 रकबा 9.27है0, कुल किता 2 कुल रकबा 9.33है0 का सरस—नरस के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन किया जावें इसी अनुसार वादी का पर्चा लगान अलग से कायम करवाया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 13.02.2017 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार आंधी ने पत्रांक/भू0अ0/2024/ 540 दिनांक 08.02.2024 को कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील उभय पक्षों की सुनी गई तथा वकील उभय पक्षों को कुर्रेजात पर समझाईश की गई। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम लालवास, पटवार लालवास, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर

२२

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
गेंदी देवी, गीता देवी, विमला देवी पुत्रिया गंगाराम हि0 3/8, राजेश कुमार पुत्र गंगाराम हि0 1/8 जाति हरि0 ब्रा0 राहिन पी0एन0बी0 शाखा खवारानीजी सा0 गोल्यावास, तह0 सांगानेर जयपुर, रेवत सिंह पुत्र नाथू सिह हि0 1/2 जाति राजपूत सा0देह खातेदार	556 557	0.06 9.27	गै.मु.चाह चाही 1	—
योग	किता 2	9.33	—	—

–: प्रस्तावित :–

प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
रेवत सिंह पुत्र नाथू सिंह जाति राजपूत सा0देह	557	4.64	चाही 1	—
योग	किता 1	4.64	—	—
राजेश कुमार पुत्र गंगाराम हि0 1/4, गेन्दी देवी, गीता देवी, विमला देवी पुत्रिया गंगाराम हि0 3/4 राहिन पी0एन0बी0 शाखा खवारानीजी जाति हरि0ब्रा0 सा0 गोल्यावास तह0 सांगानेर जयपुर खातेदार	557	4.63	चाही 1	—
योग	किता 1	4.63	—	—
शामलाती	556	0.06	गै.मु.चाह	—
योग	किता 1	0.06	—	—

ोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही गण एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित ा गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 19/07/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया ा।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18–21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

रेवतसिंह बनाम गंगाराम वगै0

वाद अन्तर्गत धारा–53, 188 बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर – 40 / 2015

मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री ललित मीना बहाजिरी श्री राजेश कुमार पारीक वकील दी व श्री महेश शर्मा वकील प्रतिवादी सं0 1 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीग का वाद अन्तिम से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम लालवास, पटवार हल्का लालवास, तहसील आंधी, जिला जयपुर मीण में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा षित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
गेंदी देवी, गीता देवी, विमला देवी पुत्रिया गंगाराम हि0 3/8, राजेश कुमार पुत्र गंगाराम हि0 1/8 जाति हरि0 ब्रा0 राहिन पी0एन0बी0 शाखा खवारानीजी सा0 गोल्यावास, तह0 सांगानेर जयपुर, रेवत सिंह पुत्र नाथू सिह हि0 1/2 जाति राजपूत सा0देह खातेदार	556 557	0.06 9.27	गै.मु.चाह चाही 1	–
योग	किता 2	9.33	–	–

–: प्रस्तावित :–

	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
	रेवत सिंह पुत्र नाथू सिंह जाति राजपूत सा0देह	557	4.64	चाही 1	–
	योग	किता 1	4.64	–	–
	राजेश कुमार पुत्र गंगाराम हि0 1/4, गेन्दी देवी, गीता देवी, विमला देवी पुत्रिया गंगाराम हि0 3/4 राहिन पी0एन0बी0 शाखा खवारानीजी जाति हरि0ब्रा0 सा0 गोल्यावास तह0 सांगानेर जयपुर खातेदार	557	4.63	चाही 1	–
	योग	किता 1	4.63	–	–
3	शामलाती	556	0.06	गै.मु.चाह	–
	योग	किता 1	0.06	–	–

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिकी आज दिनांक 19/07/2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर